न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 20.11.2019

मु.नं. 14/2019

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का सतासर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

भादू खां पुत्र बसाये खां कौम मुसलमान साकिन वार्ड न. 5 चक 610 आर.डी सतासर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर

अप्रार्थी

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

–निर्णय–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सतासर ने रिपोर्ट मय प्रपत्र पी. 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी भादू खां पुत्र बसाये खां कौम मुसलमान साकिन वार्ड न. 5 चक 610 आर.डी सतासर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर ने सतासर के खसरा नम्बर 202 में 30.00 बीघा बजड अराजीराज भूमि पर कृषि सम्वत 2076 फसल खरीफ में में अतिक्रमण कर ग्वार की फसल काश्त कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को दिनाक 20.11.2019 को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली दिनांक 20.11.2019 को पेशी में ली गई। अप्रार्थी नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरूद्व ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण मे अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर भू–राजस्व का 50 गुना 300/–अक्षरे तीन सौ रूपये शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश पारित किये जाते है। भू.अ.निरीक्षक सतासर को आदेशित किया जाता है कि मौके पर खडी फसल को कुर्क कर, कुर्कशुदा फसल को निलाम कर निलामी की कार्यवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन निलामी राशि राजकोष मे जमा करावे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूगार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह नैण)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छत्तरगढ़ (बीकानेर)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक छतरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner